



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

44-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 31, 2020 (CHAITRA 11, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2020

संख्या 13/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) तथा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के सामने,-

(क) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (i) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(क) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहॉल की सेवाएँ	2.5	—”।
---	-----	-----

(ख) खाना (3) में, मद (ii) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात्, “और (i)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2020 से लागू होगी ।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2020

No. 13/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 25,

- (a) under columns (3), (4) and (5), after item (i), the following item shall be inserted, namely: -

“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	-”.
--	-----	-----

- (b) under column (3), in item (ii), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.